न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 125/19 तारीख दायर 29-5-19

1. गोपाललाल पिता केला जाति खटीक उम्र 62 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम्

1. रमेश पिता गोपी जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कैलाश पिता देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज0)
3. सोराम पिता केला जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज0)
4. भंवरलाल पिता केला जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज0)
5. शिव पिता लालीपथ जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज0) (नाम [illegible])

.......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 11.6.19

प्रार्थना पत्र मांगीलाल किराड ने जरिये अभिभाषक श्री **पंकज कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम बिजौलियां पटवार हल्का बिजौलियां तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 120 पर अंकित आराजी संख्या 182/3, 1515/182 किता 2 रकबा 8–11 बीघा** स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071–2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बिजौलियां पटवार हल्का बिजौलियां तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 120 पर अंकित आराजी संख्या 182/3, 1515/182 किता 2 रकबा 8–11 बीघा** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner